कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–ए/115–908/2020 दिनांक 28/08/2023

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कोरिया वनमंडल, बैकुण्ठपुर
छत्तीसगढ़

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur laying Optical Fiber Cable (OFC) Line in Korea Forest Division under Chhattisgarh State, area- 3.309 ha. पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/146529/ 2021**

संदर्भ:– 1. छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क एफ 5–21/2023/10–2 दिनांक 02.08.2023
2. कार्यालयीन पत्र कमांक/. भू–प्रबंध/ विविध–1ए/115–908 ए/1640 दिनांक 12.07.2023

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

संदर्भित पत्र – 2 के माध्यम से विषयांकित प्रकरण का संशोधित प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित किया गया था जिसके अनुकम में संदर्भित पत्र – 1 के माध्यम से शासन द्वारा प्रस्ताव के चेक लिस्ट कमांक 21 पर **"राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी अभ्यारण्य के अंदर में ओ.एफ.सी गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा**, उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है।

प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार आरक्षित वन रकबा 0.468 हे. एवं संरक्षित वन रकबा 0.727 हे. कुल रकबा 1.195 हे. क्षेत्र में गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 कि.मी की परिधि में आने का उल्लेख किया गया है।

अतः संदर्भित पत्र – 1 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत प्राप्त कर प्रस्तुत करे तथा उक्त अभिमत को आनलाईन परिवेश पोर्टल में भी अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

संलग्न:– संदर्भित पत्र–1 की छायाप्रति

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स.-अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/ विविध–ए/115–908/2021 रायपुर, दिनांक 28/08/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक** (वन्य प्राणी) अरण्य भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।
3. **महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)** जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–21/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 02/08/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता मेसर्स महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोरिया जिले के कोरिया वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 3.309 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

विविध-I(A)

संदर्भः– 1.विभागीय पत्र क्र. एफ 7–22/2009/10–2, दिनांक 22.06.2018।
2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए/115–908/1640, दिनांक 12.07.2023।

14/8
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छत्तीसगढ़, रायपुर

-----000-----

विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् सामान्य अनुमोदन के अंतर्गत अनुमति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के प्रकरणों के प्रसंस्करण हेतु राज्य शासन द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से 21 बिंदुओं की चेक लिस्ट का अनुमोदन किया गया है।

2/– संदर्भित पत्र क्र. 1 द्वारा निर्धारित 21 बिंदुओं की चेक लिस्ट के बिंदु क्र. 21 में निम्न प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाना अनिवार्य किया गया है :–

राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा।

3/– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से उक्त बिंदु पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुशंसा प्रदाय न करते हुए निम्नानुसार लेख किया गया है :–

प्रस्तावित क्षेत्र में से आरक्षित वन का रकबा 0.468 हे. संरक्षित वन भूमि का रकबा 0.727 कुल रकबा 1.195 हे. क्षेत्र गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आता है। वनमंडलाधिकारी, कोरिया के कथन अनुसार इस क्षेत्र के संबंध में दिये गये आदेश के परिपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर से अभिमत प्रदाय करने हेतु वनमंडलाधिकारी, कोरिया वनमंडल द्वारा पत्र क्रमांक 166 दिनांक 30.01.2023 द्वारा अनुरोध किया गया है। अभिमत प्राप्त होने के उपरांत पृथक से भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

4/– अतः आदेशानुसार निवेदन है कि, कृपया संदर्भित पत्र क्र. 1 के द्वारा अनुमोदित 21 बिंदुओं की चेक लिस्ट के बिंदु क्र. 21 के तहत् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से अभिमत प्राप्त कर शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ नवा रायपुर
आवक क्र. 3030
दिनांक 1/8/23

APCCF (L/M)
PCCF

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
आवक क्र. 2741
दिनांक 4/08/23

2-8-23
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

क्रमशः 2

D/FCA/ Latter-N/Lalit 4630

पृष्ठां.क्रमांक / एफ 5–21 / 2023 / 10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /08/2023

प्रतिलिपि :–

1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

3.मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।

4.वनमंडलाधिकारी, कोरिया वनमंडल, कोरिया, छत्तीसगढ़।

5.आवेदनकर्ता, महाप्रबंधक, जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल,विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit

4631